

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता  
झॉसी वृत्त लो0नि0वि0, झॉसी

पत्र सं0 :- 655/48एम0-झॉ0 वृत्त/15

दिनांक:- 15-5-15

कार्यालय - झाप

इस कार्यालय के झाप सं0 3454/48 एम-झॉ0वृत्त/14 दिनांक 23.07.2014 एवं 3453/48 एम-झॉ0वृत्त/14 दिनांक 23.07.2014 द्वारा इस वृत्त के अधीन जनपद जालौन, झॉसी एवं ललितपुर में भवन तथा मार्ग निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्रियों एवं विविध श्रेणी के श्रमिकों की दरों को पुनरीक्षित किये जाने हेतु इस कार्यालय पत्रांक 484/48 एम0-झॉ0वृत्त/2015 दिनांक 02.05.2015 से गठित समिति के अधिकारीगण के साथ दिनांक 11.05.2015 को आहूत बैठक में विचार-विमर्श किया गया । बैठक में निम्न अधिकारीगण द्वारा प्रतिभाग किया गया ।

1. श्री प्रदीप रत्नम, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, झॉसी ।
2. श्री ए0के0 जैन, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, झॉसी ।
3. श्री बी0बी0 अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उरई ।
4. श्री रामचन्द्र राम, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड(भवन विंग), लो0नि0वि0, झॉसी ।
5. श्री आर0सी0 पटैरिया, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, ललितपुर ।
6. श्री पी0एस0 उपाध्याय, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, झॉसी ।
7. श्री गुलाब सिंह, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, झॉसी ।
8. श्री जितेन्द्र सिंह, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, ललितपुर ।
9. श्री विनीत कुमार स्वर्णकार, अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, झॉसी ।
10. श्री संजय चौबे, अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0, झॉसी ।

उक्त बैठक में उपस्थित अभियन्ताओ द्वारा वर्तमान शिड्यूल दरों के सापेक्ष वर्तमान प्रचलित श्रमिकों एवं सामग्री की बाजार दरों में वृद्धि नही होने के आधार पर यह सहमति व्यक्त की गई कि वर्तमान शिड्यूल दरों पर कार्य कराया जाना सुलभ है एवं अभी दरों के पुनरीक्षण की आवश्यकता नही है ।

अतः उक्त दी गयी संस्तुति एवं समीक्षा के उपरान्त भवन एवं मार्ग निर्माण कार्यों हेतु झॉसी मण्डल के जनपद जालौन, झॉसी एवं ललितपुर में भवन तथा मार्ग निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्रियों एवं विविध श्रेणी के श्रमिकों से सम्बन्धित चेप्टर-1(ए) व चेप्टर-2 की दरें संलग्न सूची के अनुसार पूर्व में इस कार्यालय के झाप सं0 3454/48 एम-झॉ0वृत्त/14 दिनांक 23.07.2014 एवं 3453/48 एम-झॉ0वृत्त/14 दिनांक 23.07.2014 द्वारा चेप्टर-4 से चेप्टर-26 तक की दरें अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगी । इसके साथ-साथ अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ के कार्यालय झाप सं0 5420/2 एम0-एल0वृत्त/2014-15 दिनांक 15.07.2014 द्वारा चेप्टर-3 (कार्टेज) की निर्धारित/स्वीकृत दरें जो 22.07.2014 से लागू की गयी थी, वह भी लागू रहेगी । यह भी निर्देश दिये जाते है कि पूर्व में गठित किये गये अनुबन्धों/कार्यादेशों/आपूर्ति आदेशों का कदापि पुनरीक्षण न किया जाना सुनिश्चित किया जायें ।

(इं0 श्रीपाल सिंह)  
अधीक्षण अभियन्ता  
झॉसी वृत्त, लो0नि0वि0, झॉसी

(कमशः पेज-2 पर)

